राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक : एफ13(डब्ल्यू.डी.टी./डब्ल्यू.सी.)/निजभूस/IWMP-VII/2012/1335 दिनांक: 29/01/2013

कार्यालय आदेश

आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत उप समिति (जलग्रहण) के चयन एवं सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है :—

1. ग्रामसभा जलग्रहण क्षेत्र के ही सुयोग्य व्यक्ति को जलग्रहण समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त करेगी। सरपंच या वार्डपंच/पंचायत समिति सदस्य भी जलग्रहण समिति के सदस्य/अध्यक्ष पद पर नियुक्त/निर्वाचित हो सकते है।
2. जलग्रहण समिति द्वारा कराये गये कार्यो के भुगतान में अगर सरपंच द्वारा चैक प्रस्तुत करने के 10 दिन की अवधि में हस्ताक्षर नही किये जाते है, परन्तु भुगतान करना अति आवश्यक हो तो राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के अनुसार संरपच के स्थान पर विकास अधिकारी चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगें, परन्तु ऐसे भुगतान हेतु अति आवश्यक होने के बारे में लिखित कारण अभिलिखित किये जावें।
3. सचिव, उप समिति (जलग्रहण) द्वारा यदि उप समिति के कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से नही किया जाता है तो, सबंधित पी.आई.ए. द्वारा सचिव को नोटिस जारी किया जावें। जिसमें सचिव द्वारा कार्य सम्पादन नही करने का उल्लेख होगा एवं उक्त नोटिस की प्रति सबंधित ग्रामपंचायत को भी दी जावे।
   - यदि उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर 10 दिवस में प्राप्त नही हो तो पी.आई.ए. द्वारा सचिव को पुनः नोटिस जारी किया जावें।
   - सचिव, द्वारा यदि फिर भी नोटिस का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया जाता है तो पी.आई.ए. द्वारा सचिव को हटाया जा सकेगा एवं इसकी सूचना सबंधित ग्राम पंचायत को आवश्यक रूप से दी जावेगी। सचिव से लिखित प्रत्युत्तर प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार इसका परीक्षण कर, पी.आई.ए. निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा। इस प्रकार लिये गये निर्णय से सबंधित ग्राम पंचायत को आवश्यक रूप से सूचित किया जावें।
   - सचिव, द्वारा उसे हटाये जाने के निर्णय के विरूद्व सबंधित परियोजना प्रबंधक के पास निर्णय पारित होने के एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
   - सबंधित परियोजना प्रबंधक द्वारा अपील पर निर्णय से पूर्व सबंधित सचिव को कम से कम एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावें।
   - सचिव, का चयन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 213 के अनुरूप पुनः ग्रामसभा मे करने कि स्थिति तक कार्य बाधित नहीं हो, ऐसी स्थिति में पीआईए, प्रमुख सहायक अभियन्ता द्वारा चैकों पर हस्ताक्षर किये जायेगे।

उक्त आदेश श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक : एफ13(डब्ल्यू.डी.टी./डब्ल्यू.सी.)/निजभूस/IWMP-VII/2012/1335-1615 दिनांक: 29-01-2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :—

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस. एल.एन.ए., राज. जयपुर।

other

29/1/13

2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, (आई.डब्ल्यू.एम.पी. / प्रशासन)
5. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
6. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक, निदेशालय जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसा.), जिला परिषद।
9. समस्त पी.आई.ए. पंचायत समिति।
10. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक